न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम० 19/2020 धारा–145 द०प्र०सं०

राखोहरि सिंह वगैरह.....प्रथम पक्ष

बनाम

अजित कुमार महतो वगैरह .....द्वितीय पक्ष

29.09.2020.

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन के आलोक में विवादित जमीन पर उभय पक्ष में दखल–कब्जा को लेकर शांति भंग होने की संभांवना को देखते हुए विवादित भूमि पर द० प्र० सं० की धारा–145 के तहत उभय पक्षों के विरूद्व कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विवादित भूमि विवरणी

मौजा–ताऊ, थाना–बुण्डू, थाना संख्या–27

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
104	1560	2.40 ए० मध्ये 0.35 ए०	उ0–परती कदीम द0–प्रथम पक्ष पू0–परती कदीम प0–प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष का पक्ष

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पंक्ष में निम्न उल्लेख किये है :'–

1. यह है कि विवादित जमीन आर0 एस0 खतियान में खेंवट संख्या–03 लगान पाने वाला हरिचरण राय वगैरह के नाम से दर्ज है। हरिचरण राय वो जगरनाथ राय वो छुटु राय पे0–मंगल राय हुए। हरिचरण राय वो छुटु राय की नावल्द मृत्यु हो गई। जगमथ राय के पुत्री लखी प्रिया देवी पति–शंभु नाथ सिंह हुए। लखी प्रिया देवी पति–शंभु नाथ सिंह के तीन पुत्र राखोहरि सिंह वो भूपाल सिंह वो गोपाल चन्द्र सिंह हुए। जो इस वाद में प्रथम पक्षकार है। यह है कि फॉरम–एम. के अन्तर्गत धारा–6 या 7 के तहत प्रथम पक्ष के पूर्वज हरिचरण राय वो जगरनाथ राय वो छुटु राय पे0–मंगल राय के दखल को पाया गया एवं इनके नाम पर एम. फॉरम बनाया गया। बिहार भूमि अधिनियम 1950 के तहत सी. एन.वाद संख्या–113 R VIII /1955–56 में निम्न जमीन को हरिचरण राय वो जगरनाथ राय वो छुटु राय पे0–मंगल राय का नाम दर्ज किया गया।

अंचल	वर्ग	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा
बुण्डू	टाड़ III	104	1552	0.84
			1560	2.40
			1578	2.30
			1634	1.42
			1636	0.68
			1637/1824	0.66
			1639	1.31

29.09.2020

अंचल	वर्ग	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा
बुण्डू	टाड़ III	104	1640	1.63
			1641	2.45
			1642	0.16
			1643	2.29
			1644	1.63
			1807	4.22

यह है कि हरिचरण राय की मृत्यु के बाद सावित्री देवी पति–जगरनाथ राय को भूमि कोमपेंन्शशन के रूप में चार सौ रूपये प्राप्त हुआ, जिसका वाद संख्या–1149/1268, वर्ष 1955–56 है।

2. यह है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गए जबाब में उल्लेख किया गया है कि विवादित जमीन को हरिचरण राय एवं अन्य के द्वारा पीतु हजाम को सन् 1930 ई0 को बन्दोवस्ती कर दिये है। द्वितीय पक्ष का यह कहना सरासर झुठा है।

3. यह है कि विवादित जमीन पर गौर मोहन हजाम का दखल है कहना सरासर गलत है। द्वितीय पक्ष जोरजबरजस्ती कब्जा करना चाहते है। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का किसी प्रकार का हक एवं दावा नहीं बनता है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए द्वितीय पक्ष को विवादित जमीन पर जाने से रोक लगाते हुए प्रथम पक्ष के हित में दखल–कब्जा घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष का पक्ष

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न बतलाया है :–

1. यह है कि द्वितीय पक्षगण कानून को मानने वाला व्यक्ति है। द्वितीय पक्ष के कमांक–1 अजीत कुमार महतो बिरसा कॉलेज खूँटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। द्वितीय पक्ष के हाथो शांति भंग होने की संभावना नहीं है।

2. यह है कि विवादित जमीन आर0 एस0 खतियान में वकास्त, हरिचरण राय वगैरह के नाम से दर्ज है। विवादित जमीन को हरिचरण राय वगैरह, आर0 एस0 खेंवट संख्या–03 के द्वारा सन् 1930 ई0 को पितु हजाम के नाम रैयती बन्दोवस्ती कर दिये। रयैती बन्दोवस्ती करने के पश्चात जमीन्दारी के समय जमीन्दार को मालगुजारी देते थे एवं जमीन्दारी प्रथा उन्मूलन के पश्चात अंचल कार्यालय में नामान्तरण कराकर सरकार मालगुजारी देते है। तत्पश्चात गौर मोहन हजाम , खाता संख्या–104, खाता संख्या–1560, रकवा–2.40 ए0 जमीन के मालिक हुए।

3. यह है कि विवादित जमीन का New Draft Survey में धारा–83 छो0 का0 अधि0 के तहत बण्डा पर्चा शिवचरण हजाम वगैरह के नाम से बना है। जो गौर मोहन हजाम के वंशज है।

4. यह है कि गौर मोहन हजाम के पुत्र दुखहरण हजाम से द्वितीय पक्षगण अजीत कुमार महतो वो बिष्णु चरण महतो ने मौजा–ताऊ, थाना– बुण्डू, थाना संख्या–27 खाता संख्या–104 प्लॉट संख्या–1560 रकवा–2.40 ए0 मध्ये 35 डी0 जमीन को सन् 05/01/1990 ई0 को निबंधित पट्टा से कय किया है। जिसका चौहदी उ0–परती कदीम, द0–मोहन उराँव वगैरह, पू0–परती कदीम, प0–सेलर अवस्थित है। कय करने के पश्चात दखलकार हुए एवं अंचल कार्यालय से नामान्तरण कराये। जिसका नामान्तरण वाद संख्या–77 R/27/99–2000 है। नामान्तरण कराने के पश्चात सरकार को लगातार मालगुजारी देते आ रहे है। विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों शांति भंग होने की संभावना नहीं है। प्रथम पक्ष के द्वारा लगाये गए आरोप सरासर गलत है।

29.09.2020

विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का शांति पूर्वक दखल है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष का कभी भी दखल में नहीं है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को परेशान करने के नियत से मुकदमा दायर किया गया है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथम पक्ष को विवादित जमीन पर जाने से रोक लगाते हुए द्वितीय पक्ष के हित में दखल–कब्जा घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आदेशः–

उभय पक्ष के बहस को सुनने, दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन को प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज एवं एम. फॉरम से प्राप्त के आधार पर दावा कर रहे है। विवादित जमीन को द्वितीय पक्ष रजिस्ट्री पट्टा के आधार पर दावा किया जा रहा है। विवादित जमीन पर उभय पक्षों की कागजातों की पुष्टि कर दखल–कब्जा घोषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। कागजातों की पुष्टि एवं स्वत्व हेतु यह सक्षम न्यायालय नहीं है। ऐसी स्थिति में विवादित जमीन पर द0 प्र0 सं0 की धारा–145 के तहत आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद को निरस्त किया जाता है। उभय पक्षकार कागजातों की पुष्टि एवं स्वत्व हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

29/09

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू।

29/09

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू।